न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द, आर.ए.एस.

मैनुअल प्र.सं. : 04/2013
रिमाण्ड प्र.स. 07/2020
सीसीएमएस : 2020/00111

1. भूपराम पुत्र श्री रामकरण जाति बिश्नोई साकिन मुकलावा तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री भूपराम जाति बिश्नोई साकिन 17 टीके ढ़ाणी तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

बनाम

1. रामगोपाल पुत्र देवीलाल जाति सुथार सा. मुकलावा तह. रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर
2. कृष्णलाल पुत्र देवीलाल जाति सुथार सा. मुकलावा तह. रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर।
3. शान्तिदेवी पत्नी भजनलाल जाति सुथार सा. मुकलावा तह. रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर।
4. कालूराम पुत्र भजनलाल जाति सुथार सा. मुकलावा तह. रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर।
5. हनुमान पुत्र भजनलाल जाति सुथार सा. मुकलावा तह. रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर।
6. इन्द्र पुत्र भजनलाल जाति सुथार सा.मुकलावा तह. रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर।
7. राधा पुत्री भजनलाल जाति सुथार सा. मुकलावा तह. रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर।
8. गौमती पुत्री भजनलाल जाति सुथार सा. मुकलावा तह. रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर।
9. कोखा पुत्री भजनलाल जाति सुथार सा. मुकलावा तह. रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर।
10. रेखा पुत्री भजनलाल जाति सुथार सा.मुकलावा तह. रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर।
12. मनीराम पुत्र रामलाल जाति बिश्नोई साकिन मुकलावा तहसील रायसिंहनगर।
13. सतपाल पुत्र बुधराम जाति बिश्नोई साकिन 1 टीके तहसील रायसिंहनगर।
14. अमरचन्द्र पुत्र उदाराम जाति सुथार साकिन मुकलावा तहसील रायसिंहनगर।

प्रार्थना–पत्र धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :–

1. श्री रविन्द्र बिश्नोई अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री राजीव जग्गा अधिवक्ता अप्रार्थीगण

–: **निर्णय** :– दिनांक :– 13.08.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि –

1. प्रार्थी भूपराम पुत्र रामकरण जाति बिश्नोई निवासी मुकलावा व विरेन्द्र कुमार पुत्र भूपराम जाति बिश्नोई निवासी 17 टी के तहसील रायसिंहनगर ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपनी भूमि चक 17 टी के का खाता नं. 41/42 के मु.न. 15 प.न. 162/300 के कि.न. 8/2 में 0.126, 9–10 सालम–सालम, व मु.न. 30 प.न. 162/301 के कि.न. 16 ता 19 ,सालम–सालम , 20–21 प्रत्येक .228 है., 22–23 कुल 2.606 है. नहरी व प्रार्थी विरेन्द्र कुमार के नाम इसी चक का मु.न. 15 प.न. 162/300 के 3.163है. नहरी में से 1.265 है. [illegible] भजनलाल वगैरा खातेदारी भूमि है। जिसमें मु.न. 15 के कि.न. [illegible] विरेन्द्र कुमार के कब्जा काश्त में है तथा इसी मुरब्बा के कि.न. 8 के [illegible] 6, 9 [illegible] सालम–सालम प्रार्थी के कब्जा काश्त में है। प्रार्थीगण [illegible] अपने कब्जा [illegible] उक्त किलाजात में आने जाने के लिए अन्य खातेदारान के संयुक्त [illegible] किलाजात मु.न. 15 प.न. 162/300 के कि.न. 11, 20, 21 में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है तथा इस स्वीकृत किये जाने वाले रास्ता की भूमि [illegible] बदले डी.एल.सी. दर से राशि जमा करवाने के लिये तैयार है। अतः रास्ता स्वीकृत किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:31:34 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner

प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना –पत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बधित पक्षकारान को सुन कर प्रार्थीगण को प्रार्थना–पत्र दिनांक 13.06.2014 को स्वीकार किया जाकर वाके चक 17 टी के का मु.न. 15 प.न. 162/300 के कि.न. 11–20–21 में से दो दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है एवं रास्ते में आई भूमि के बदले में भूमि इसी मुरब्बा न. 15 के कि.न. 8 में से 6 बीस्वा देने के आदेश दिये थे। बतौर खातेदार अप्रार्थीगण के खाते में दर्ज कर रिकॉर्ड में अमल–दरामद किये जाने के आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम दिये गये। इस आदेश से रूष्ट होकर अप्रार्थी रामगोपाल पुत्र देवीलाल वगैरा ने श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी श्री गंगानगर के यहाँ अपील सं. 91/2014 अनवान रामगोपाल आदि बनाम भूपराम वगैरा दायर की गई। उनके निर्णय दिनलांक 13.06.2014 के अनुसार अपील अस्वीकार की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.03.2014 को यथावत् रखा गया। उक्त निर्णय दिनांक 13.06.2014 के विरूद्व अपीलान्ट कालूराम पुत्र भजनलाल वगैरा ने

3. माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के यहाँ अपील सं. 3443 /14/एलआर/ श्रीगंगानगर अनवान कालूराम वगैरा बनाम भूपराम वगैरा प्रस्तुत की गई। जिसमें पारित निर्णय दिनांक 03.06.2016 के अनुसार अपीलान्ट की निगरानी स्वीकार की जाकर इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.03.2014 तथा राजस्व अपील प्राधिकारी श्री गंगानगर का निर्णय दिनांक 13.06.02014 निरस्त किये जाकर इस निर्देश के साथ आदेश दिये गये कि धारा 251 –ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तथा इसके तहत बने नियमों का पूर्ण रूप से पालन करते हुये प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को नये सिरे से निर्णित करे। दोनों पक्षकारान को आदेश दिये जाते है कि वे इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.07.2016 को उपस्थित होंगे। उपखण्ड अधिकारी द्वारा किसी भी पक्षकार को उपस्थिति के लिये नोटिस जारी नहीं करेंगे। इसके उपरान्त इस न्यायालय द्वारा वाके चक 17 टीके के मु.नं. 15 पं.नं. 162/300 के कि.नं. 11–20–21 में से 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया गया जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष पेश की गई अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.03.2019 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधी. न्यायालय को इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया है कि माननीय राजस्व मण्डल के रिमाण्ड आदेशों की पालना करते हुए रा.का.अधि. की धारा 251 ए के तहत बने नियमों को दृष्टिगत रखते हुए दोनों पक्षकारों को सुनकर पुनः निर्णय पारित करें। पत्रावली इस न्यायालय को प्राप्त होने पर पेशी में ली गई। प्रार्थीगण की ओर से श्री रविन्द्र बिश्नोई अधिवक्ता हाजिर आये। अप्रार्थीगण की ओर से श्री राजीव जग्गा अधिवक्ता हाजिर आये। वकील प्रार्थीगण के द्वारा आदेश 1 नियम 10 (2)व 151 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण का जबाव प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुआ। वकील प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना–पत्र पर नोट प्रेस करने पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण खारिज किया गया। उक्त प्रकरण में मौके की रिर्पोट तहसीलदार रायसिंहनगर से मंगवाई गई। तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र कमांक/राजस्व/24/98 दिनांक 06.02.2024 के द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि चक 17 टी के का मु.न. 15 के कि.न. 8–9–10 में व कि.न. 1 ता 8 में आवागमन हेतु इसी रकबे कि. न. 11–20–21 प्रत्येक में 0.026है. रास्ता की मांग की गई थी, न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.03.2019 द्वारा रास्ता स्वीकृत किया गया जिसका इन्तकाल दर्ज रिकार्ड है व रास्ते के बदले भूपराम द्वारा मु.न. 15 के कि.न. 8/2 के 0.075 है. नहरी भूमि अप्रार्थी रामगोपाल के पक्ष में दर्ज की गई है जिस पर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी का स्थगन के कारण विचाराधीन है। प्रार्थीगण की मांग [illegible] में आवागमन हेतु चक 17 टी के का मु.न. 15 के कि.न. 11–20–[illegible] प्रत्ये[illegible] में 0.025 है. पूर्व में स्वीकृत रास्ता एवं पूर्व में प्रस्तावित रास्ता [illegible] शुद्धा रास्ता से निकटतम दूरी पर है। इस स्वीकृत रास्ता पर अस्थाई खाल[illegible] हुआ है।

4. बहस पक्षकारान अधिवक्तागण सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये [illegible] स्वीकृत किये जाने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण ने जबाव प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:31:34 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

हुये प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया है। दिनांक 6.08.2024 को अप्रार्थी कालूराम पुत्र भजनलाल ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके चक 17 टी के का मु.न. 15 के कि.न. 6/0.025, 7/0.025 व कि.न 8/0.013 हैक्टर उत्तरी पासा रास्ता स्वीकृत कर रास्ता में आई भूमि के बदले में भूमि प्रार्थी भूपराम से अप्रार्थी कालूराम के चिपते रकबा के कि.न. 8 में कुल 0.063 है. भूमि दिलवाई जावे। तो मुझे प्रार्थी को कोई आपत्ति व एतराज नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

5. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार रायसिंहनगर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के पास उनकी भूमि में आवागमन हेतु कोई स्वीकृतशुद्धा रास्ता नहीं हैं। अतः प्रार्थीगण के पासा वैकल्पिक मार्ग का अभाव हैं। चूंकि प्रार्थीगण के पास उनकी भूमि में आवागमन हेतु कोई स्वीकृतशुद्धा मार्ग नहीं हैं, इससे यह सिद्ध है कि प्रार्थीगण द्वारा की गयी रास्ता की मांग अपने सुखाधिकार के लिए नहीं होकर रास्ता की आत्यांतिक आवश्यकता हैं। तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा अपनी रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/24/98 दिनांक 06.02.2024 के द्वारा वाके चक .17 टी के का मु.न. 15 के कि.न. 11–20–21 प्रत्येक में 0.025 है. पूर्व में स्वीकृत रास्ता एवं पूर्व में प्रस्तावित रास्ता ही एक मात्र है। यही स्वीकृत शुद्धा रास्ता से निकटतम दूरी पर है। अप्रार्थी कालूराम पुत्र भजनलाल के प्रार्थना पत्र दिनांक 6.08.2024 के अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो उसके चिपते हुये रकबा इसी मुरब्बा के कि.न. 8 में भूमि प्रार्थी भूपराम से दिलवाई जावे। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना –पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–: क्रियान्वयन आदेश :–

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण <u>का प्रार्थना –पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर वाके चक 17 टीके के मु.नं. 15 पं.नं. 162/300 के कि.नं. 11–20–21 में में 2–2 बिस्वा गै.मु.रा. इस न्यायालय के आदेश दिनांक 19.03.2019 को निरस्त किया जाता है इसके स्थान पर वाके चक 17 टी के का मु.न. 15 पं.नं. 162/300 के कि.न. 6/0.025, 7/0.025 व कि.न. 8/0.013 है. उत्तरी पासा पर गै. मु. रा. स्वीकृत किया जाता है।</u> रास्ता में आई भूमि के बदले में भूमि प्रार्थी भूपराम वगैरा से अप्रार्थी कालूराम के चिपते रकबा के कि.न. 8/0.063 है. भूमि दिलवाई जाकर ही रास्ता का अमल दरामद राजस्व रिकॉर्ड में किया जावे। तहसीलदार रायसिंहनगर को आदेशित किया जाता हैं कि वे प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से अप्रार्थी कालूराम को भूमि दिलवा कर राजस्व रिकार्ड में गै.मु.रा. का अमलदरामद करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक <u>13.08.2024</u> को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

आर.ए.एस.
उप[illegible] अधिकारी
[illegible]सिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:31:34 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner